


23/11/23 पन्नावली पेश हुई। वादी एवं वादी  
वकील अनुपस्थित। न्यायालय द्वारा बार-बार  
आवाज लगावाई गयी। वादी एवं वादी वकील मौजूदगी  
हान्सीर अमानत नहीं हुआ। न्यायालय द्वारा पूर्व में  
भी अवसर दिये गये। अतः दावा अल्प हान्सीर, अल्पपैरगी  
में स्वारीज किया जाता है। पन्नावली नम्बर से कम हो  
बाद पूर्ति वारनीग दफ्तर ही।

  
सहायक कलेक्टर  
बहरोड (अन्ना) राय